सतत विकास लक्ष्य एवं वंचित समुदाय श्रृंखला – 2

सतत विकास लक्ष्य और राजस्थान के अल्पसंख्यक:

मुद्दे, नीति, बजट, योजनाएं

मई 2022

नेसार अहमद
सकील खान

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट, जयपुर
(Budget Analysis and Research Centre Trust, Jaipur)
ईमेल :barctrust@gmail.comवेबसाइट :www.barctrust.org

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी), जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, का नारा है 'कोइ पीछे ना रहे। (Leave No One behind)'। सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि समाज के सभी वंचित समुदायों के लिये भी इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए बार्क ने राजस्थान के विभिन्न वंचित समुदायों जैसे दलित, आदिवासी, विमुक्त एवं घुमन्तू समुदायों की स्थिति, उनके लिये राज्य की नीति, बजट और योजनाओं पर केन्द्रित नीति प्रपत्र तैयार कर रहा है।

*सर्वप्रथम इस क्रम में **"विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध्दघुमंतू जातियां और सतत विकास लक्ष्य"** के नाम से नीति प्रपत्र तैयार किया था। अब इस क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित "सतत विकास लक्ष्य और राजस्थान के अल्पसंख्यकः मुद्दे, नीति, बजट, योजनाए" के नाम से नीति प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों की स्थिति को सतत विकास लक्ष्यों के परिपेक्ष में देखा जा सकता है।*

भारत संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है। धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाए तो हिन्दू धर्म बहुसंख्यक वर्ग है, और अन्य सभी धर्मों के लोग अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 2(सी) के अनुसार मुस्लिम, सिक्ख, ईसाईं, बौद्ध एवं पारसीसमुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म से हैं, 14.2 प्रतिशत लोग मुस्लिम, और 2.3 प्रतिशत, 1.72 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत एवं 0.37 प्रतिशत लोग क्रमशः ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं जैन धर्म से हैं।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति :सतत विकास लक्ष्य और अल्पसंख्यक समुदाय (खासतौर से मुस्लिम समुदाय)

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या लगभग 11.41 प्रतिशत अर्थात् 78.18 लाख है। राज्य में मुस्लिम 62.15 लाख (9.07 प्रतिशत) हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.14 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 17.91 प्रतिशत मुस्लिम निवास करते हैं।

सतत विकास लक्ष्य 2030 के लिए निर्धारित 17 लक्ष्यों के लिए नीति आयोग द्वारा अलग अलग संकेतक निर्धारित किये गए हैं।[1] नीति आयोग द्वारा निर्धारित संकेतकों को ही राजस्थान सरकार द्वारा अपनाया गया है, और चुने गये लक्ष्यों के लिए इन्हीं संकेतकों को इस दस्तावेज में लिया गया है। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य 2030 की निगरानी तथा क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को बनाया है। इसी निदेशालय द्वारा यह रिपोर्ट (सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट–3.0, 2021[2]) जारी की गयी है। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट और राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में केवल पूरे राज्य के आंकड़े दिए गए हैं और इनमें किसी वंचित समुदाय के आंकड़े अलग से नहीं दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में इसमें से अधिकतर संकेतकों के राजस्थान के आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 से लिए गए हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 के आंकड़े भी आ गए हैं। इसलिए हमने इस रिपोर्ट में जहाँ आवश्यकता लगी वहां राष्ट्रीय परिवार

[1] SDG India Index 2021, https://www.niti.gov.in/writereaddata/files/SDG_3.0_Final_04.03.2021_Web_Spreads.pdf
[2] https://sdg.rajasthan.gov.in/Upload%20Attachment/d5c8ba80-fa4a-4f40-bd05-22e74ac5b7a7/Rajasthan%20SDG%20Staus%20Report-2021_Ver_3_0.pdf

स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 के आंकड़ों का उपयोग किया है और इन संकेतकों के लिए राज्य के आंकड़ों की तुलना राज्य के मुसलमानों के आंकड़ों से की गयी है (**तालिका–1**)।

तालिका–1 सतत विकास लक्ष्य और मुसलमानों की स्थिति (चुने हुए संकेतक)

लक्ष्य	संकेतक	राज्य	मुस्लिम	स्रोत
लक्ष्य–1 शून्य गरीबी	राष्ट्रीय गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली जनसँख्या का अनुपात(प्रतिशत)	14.7	14	तेंदुलकर समिति 2011–12
लक्ष्य–2 (शून्य भुखमरी)	5 वर्ष से कम आयु वर्ग में कम वजन वाले बच्चे (प्रतिशत)	27.6	32.40	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (NFHS-5)
	कमजोर बच्चे (प्रतिशत)	16.8	20.7	
	बौने बच्चे (प्रतिशत)	31.8	35.4	
	ऐसी महिलाऐं जिनका बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है (प्रतिशत) {<18.5 (total thin)}	19.5	16.9	
	6–59 माह के बच्चे जिनमें एनीमिया (खून की कमी) है (प्रतिशत)	59.9	68.7	
लक्ष्य–3 (उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली)	पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर)	37.5	29.4	
	नवजात मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	20.2	17.2	
लक्ष्य–4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)	साक्षरता दर (प्रतिशत)	66.10	62.68	जनगणना 2011
	महिला साक्षरता दर (प्रतिशत)	52.1	49.35	
लक्ष्य–6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता)	शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का अनुपात (शहरी और ग्रामीण) (प्रतिशत)	शहरी 97.3 ग्रामीण 72.6 कुल7 8.7	शहरी 97.7 ग्रामीण 79.2 कुल 87.8	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (NFHS-5)

राज्य में सतत विकास लक्ष्य 2030 की वर्तमान स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय (खासतौर से मुस्लिम समुदाय) की स्थिति देखी जाये तो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि राज्य में सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 1 के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या 14.7 प्रतिशत है जबकि मुस्लिम समुदाय में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली जनसँख्या 14 प्रतिशत है इससे कहा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 1 में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन राज्य के लगभग बराबर है। हालाँकि यह आंकडे वर्ष 2011–12 के हैं और इस सम्बन्ध में नवीन आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

लक्ष्य 2 में सम्पूर्ण रूप से भूखमरी की समाप्ति की बात की गयी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–V (NFHS-V) रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में बच्चों की तुलना में मुस्लिम समुदाय के बच्चों में कुपोषण की स्थिति अधिक गंभीर है। औसत रूप से देखा जाए तो राज्य में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के कुल बच्चों में से लगभग 28 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और जबकि मुस्लिम समुदाय में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 32.4 है।

राज्य में 16.8 प्रतिशत बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं और मुस्लिम समुदाय में यह 20.7 प्रतिशत है।इसी प्रकार राज्य में कुल बौने बच्चे 31.8 प्रतिशत हैंवही मुस्लिम समुदाय में बौने बच्चों का प्रतिशत 35.4 है जो राज्य के कुल प्रतिशत की तुलना में आधिक है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 के अनुसार 6 से 59 माह में बच्चों के एनीमिया (खून से कमी) के आंकडें भी काफी चिंताजनक है। राज्य में 6 से 59 माह के बच्चों में 59.9 प्रतिशत बच्चे एनीमिया (खून की कमी) से ग्रसित हैं औरमुस्लिम समुदाय में इसी उम्र के बच्चे 68.7 प्रतिशत एनीमिया (खून की कमी) से ग्रसित हैं।

सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य–3 (स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा) के तहत शिशु मृत्यु दर (IMR) के आंकड़ों को देखें, तो शिशु मृत्यु दर (IMR) राज्य की तुलना में मुस्लिम समुदाय में शिशु मृत्यु दर का प्रतिशतकम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–V के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर (IMR) 30 (1000 जीवित बच्चों पर) है जबकि मुस्लिम समुदाय में 22.8 है।

शिक्षा सतत् विकास की बुनियाद है, इसीलिए सतत् विकास लक्ष्य 2030 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षाभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है। 2030 के लिए लक्ष्य 4, का उद्देश्य **"सबके लिए उत्तम शिक्षा और आजीवन सीखने की सुविधा देना है।"** लक्ष्य 4 में सभी लड़के–लड़कियों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी कराना और हर किसी के लिए उत्तम एवं व्यावसायिक शिक्षा पाने के बराबर अवसर सुलभ कराने की गारंटी देने की बात की गयी है। कई अनुसन्धान अध्ययनों एवं जनगणना 2011 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। **तालिका–1** के अलावा शिक्षा से सम्बंधित कुछ अन्य आंकडे नीचे दिए गए हैं।

मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का स्तरः 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में साक्षरता दर समस्त वर्गों में सबसे कम है और महिलाओं में तो शिक्षा की स्थिति काफी चिंताजनक है (**तालिका–1**)। 2011 की जनगणना के अनुसार देशमें मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 68.5 प्रतिशत है, जबकि देश में औसत साक्षरता दर 74 प्रतिशत है। राजस्थानमें मुस्लिम समुदाय में 2001 में साक्षरता दर 56.6 प्रतिशत थी, जबकि तबराज्य की औसत साक्षरता 60.04 प्रतिशत थी। 2001 में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत थी, जबकि उस समय राज्य में महिला साक्षरता दर 43.9 प्रतिशत थी। राज्य के 2011 की जनगणना के साक्षरता दर के आंकड़े धार्मिक समूहवार उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका–2 : मुस्लिम समुदाय में साक्षरता एवं लिंगानुपात की स्थिति (आंकड़े प्रतिशत में)

साक्षरता दर/ लिंग अनुपात	2001				2011			
	भारत		राजस्थान		भारत		राजस्थान	
	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम
साक्षरता दर (सम्पूर्ण)	64.83	59.1	60.4	56.6	74.04	68.5	66.11	62.68
साक्षरता दर (पुरुष)	75.26	67.6	75.7	71.4	82.14	74.7	79.19	75.38
साक्षरता दर (महिला)	53.67	50.1	43.9	40.8	65.56	62	52.12	49.35
लिंग अनुपात (सम्पूर्ण)	933	936	921	929	943	951	–	–

स्रोतः जनगणना–2001 व 2011

स्कूल के बाहर बच्चेः—आईएमआरबी (IMRB) द्वारा वर्ष 2014 में किये गए एक अधययन[3] के अनुसार देश में 6 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे 2.97 प्रतिशत है जबकि इसी आयु वर्ग के मुस्लिम बच्चों में यह 4.43 प्रतिशत है।यह प्रतिशत अनुसूचित जाति—SC (3.24 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति—ST (4. 20 प्रतिशत) समुदाय के बच्चों से भी अधिक है। इसी प्रकार राजस्थान में स्कूल से बाहर रहने वाले कुल बच्चों का प्रतिशत 5.02 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिम समुदाय में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का प्रतिशत 6.85 प्रतिशत (2014) है, जोअन्य सभी सामाजिक समूहों से अधिक है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे :—मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी गंभीर समस्या है। तालिका—3 में दिए हुए आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लड़के और लड़कियों दोनों ही बड़े स्तर पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।2013—14 से 2014—15 के बीच सेकेंडरी स्तर पर कुल ड्रॉपआउट 23.66 प्रतिशत से बढ़कर 24. 12 प्रतिशत हो गया है।

तालिका—3 : राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय में ड्रॉपआउट दर (प्रतिशत में)

	2013—14			2014—15		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
सैकेंडरी लेवल	24.06	23.27	23.66	24.71	23.58	24.12
हायर सैकेंडरी लेवल	6.40	4.00	5.19	8.55	6.29	7.40

स्रोतः श्रीमती किरण खेर द्वारा लोकसभा में दिनांक 27/12/2017 को पूछे गये प्रश्न संख्या—1472 के जबाब में श्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीयमंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े[4]

तालिका—4 विभिन्न स्कूल स्तर पर सामाजिक समूहवार नामांकन (प्रतिशत में)

सामाजिक समूह	भारत				राजस्थान			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
अनुसूचित जाति	24.11	16.98	16.11	14.97	21.85	18.72	14.38	12.85
अनुसूचित जनजाति	9.38	9.74	7.08	4.17	14.61	10.54	8.41	7.85
मुस्लिम	16.68	13.23	7.21	11.53	11.54	11.70	9.66	8.37
अन्य	49.82	60.06	69.59	69.34	52.00	59.04	67.56	70.93

स्रोतः सातवाँ अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि जैसे—जैसे ऊपरी कक्षाओं में जाते हैं विद्यालय शिक्षा नामांकन में वंचित समूहों के बच्चों की भागीदारी कम होती जाती है। सातवाँ अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण[5] के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक स्तर के कुल नामांकन में मुस्लिम समुदाय के बच्चों की भागीदारी 11.54 प्रतिशत रही है, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम समुदाय के बच्चों की भागीदारी घटकर 8.37 प्रतिशत रह गयी है। इसके विपरीत राज्य की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय के बच्चों का स्कूली शिक्षा में नामांकन का प्रतिशत थोडा अधिक है। लेकिन राज्य की तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राथमिक शिक्षा की तुलना में उच्च माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम समुदाय के बच्चों के नामांकन में कमी हो रही है।

[3] https://www.education.gov.in/en/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/National-Survey-Estimation-School-Children-Draft-Report.pdf
[4] http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/13/AU1472.pdf
[5] https://ncert.nic.in/pdf/programmes/7thSurvey%20Reports/Enrolment_in_school.pdf

उच्च शिक्षा तक कम पहुँच– जाहिर है कि उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष व महिलाओं का नामांकन दूसरे वर्गों की अपेक्षा काफी कम है, जो निम्न तालिका में भी देखा जा सकता है।

तालिका–5: राजस्थान में उच्च शिक्षा में मुस्लिम समुदायका नामांकन

वर्ष	समस्त वर्ग			मुस्लिम समुदाय			कुल नामांकन में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2015–16	992153	969307	1761460	19657	13301	32958	1.98	1.37	1.87
2016–17	994972	813479	1808451	19885	13909	33794	2.00	1.71	1.87
2017–18	1054511	881693	1936204	22280	16276	38556	2.11	1.85	1.99
2018–19	1082466	1001947	2084413	26100	18258	44358	2.41	1.82	2.13
2019–20	1151186	1055331	2206517	25128	19055	44183	2.18	1.81	2

स्रोतः उच्चतर शिक्षा संबधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण, 2019–20[6]

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में उच्च शिक्षा तक मुस्लिम छात्र–छात्राओं की पहुँच काफी कम है। राज्य में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में मुस्लिम छात्रों की भागीदारी वर्ष 2018–19 में 2.13 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019–20 में घटकर मात्र 2 प्रतिशत रह गई है।

लक्ष्य 6 पेयजल एवं स्वच्छता के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प लिया है कि **"अगले 15 वर्ष में सुरक्षित पेयजल, और पर्याप्त स्वच्छता और साफ–सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र सुलभ कराएंगे।"**

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –5 के अनुसार वर्तमान में राज्य के अंतर्गत कुल 78.7 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 72.6 प्रतिशत तथा 97.3 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। राज्य की कुल मुस्लिम आबादी में से 87.8 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधा उपलब्ध है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 97.7 प्रतिशत तथा 79.2 प्रतिशत मुस्लिम परिवारों के पास शौचालय सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –5 के अनुसार यह कहा जा सकता है कि लक्ष्य 6 में राज्य की औसत स्थिति की तुलना में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अभी भी खुले में शौच से मुक्त होने से दूर हैं।

लक्ष्य –1, 2, 3, 4 और 6 से जुड़े संकेतकों के आंकड़ों को देख कर यह मालूम होता है कि लक्ष्य 6 के आलावा और किसी भी लक्ष्य में राज्य के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय (खासतौर से मुस्लिम समुदाय) का प्रदर्शन निराशाजनक है। सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राज्य के सभी समुदायों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदायों (खासतौर से मुस्लिम समुदाय) के लिए भी इन लक्ष्यों का प्राप्त किया जाये।

साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है कि नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य 10 (असमानता में कमी) को नापने के संकेतकों में वंचित समुदायों से सम्बंधित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराध, चुनावों से बने संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व और ट्रांसजेंडर का कुल पुरुष कार्य बल (रोज़गार) में भागीदारी जैसे संकेतक शामिल किये हैं। लेकिन इसमें अन्य वंचित समुदायों से सम्बंधित कोई और संकेतक शामिल नहीं किया गया है।[7]

[6] https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/aishe_eng.pdf
[7] https://www.niti.gov.in/writereaddata/files/SDG_3.0_Final_04.03.2021_Web_Spreads.pdf

कोविड और अल्पसंख्यक समुदाय

कोविड–19 महामारी ने सभी समुदायों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना को रोकने के लिये लगाये पूर्ण और आंशिक लॉकडाउन के परिणामस्वरूप लोगों के रोज़गार और आय को बूरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई अध्ययनों ने दिखाया कि इनका सबसे अधिक प्रभाव अंसंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मज़दूरों और स्व–रोज़गार में लगे लोगों पर पड़ा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) के 68वें दौर (2011–12)[8] के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी धर्मों में स्व–रोज़गार में लगे लोगों का प्रतिशत समान (लगभग 49 प्रतिशत) था। परन्तु शहरी क्षेत्रों में स्व–रोजगार करने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक (50 प्रतिशत) मुसलमानों में था। साथ ही शहरों में अनियमित दैनिक मजदूरी (कैजुअललेबर) करने वालों का प्रतिशत भी मुस्लिम कामगारों में सर्वाधिक (15 प्रतिशत) था। जाहिर है इन स्वरोज़गार से जुड़े मुस्लिम कामगारों और दैनिक मज़दूरी करने वाले मुस्लिम मज़दूरों को पूर्ण और आंशिक लॉकडाउन से रोजगार और आय का बहुत नुकसान हुआ।

राजस्थान में सजग पहल समूह द्वारा किये गये एक अध्ययन[9] के अनुसार पहले लॉकडाउन के बाद हुए आय के नुकसान का प्रतिशत मुसलमानों में सर्वाधिक (82 प्रतिशत) था, जबकि सभी समूहों के लिये यह 56 प्रतिशत था। यही नहीं इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार से आर्थिक लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ पाने में मुस्लिम समुदाय अन्य समुदायों से पीछे रहे हैं।

तालिका–6: 2020 में राजस्थान में कोरोना राहत के लाभार्थी (प्रतिशत में)

लाभ	सभी	मुस्लिम
आर्थिक लाभ	65	40
एलपीजी सिलेंडर	38	18
अतिरिक्त आनाज (एनएफएसए लाभार्थी)	74	58

स्रोतः राजस्थान के कमज़ोर वर्गों पर कोविड–19 के प्रभावों का अध्ययन, सजग पहल (2020)

उदाहरण के लिये एनएफएसए (NFSA) लाभार्थियों को अतिरिक्त आनाज या एलपीजी सिलेण्डर और जनधन खाते में 1500 रूपए जैसे लाभ लेने में मुस्लिम समुदाय के लोग पीछे रहे हैं। 'स्टेट ऑफ इन्डयाज़ पुअर' शीर्षक से अलग–अलग समुदायों में लॉकडाउन के प्रभावों के अध्ययन में भी पाया गया कि 53 मुस्लिम बस्तियों में जून 2020 में पेंशन के लाभ के मामलों में मुस्लिम समुदाय पीछे रहा है। हांलाकि जनधन खाते में 1500 रूपए पूरे या आंशिक रूप से अध्ययन में शामिल 90 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम बस्तियों में मिले थे।[10]

राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम एवं बजटः

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का गठन अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु किया गया। अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट आवंटन मुख्य शीर्ष 2202, 2225, 2250, 4225, 6225 के अंतर्गत होता है। नीचे दी गई सारणी में विगत पांच वर्षों में विभाग के लिए आवंटित बजट का विवरण दिया गया है।

तालिका–7: राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट (करोड़ रू. में)

वर्ष	कुल राज्य बजट*	अल्पसंख्यक विभाग का बजट	राज्य बजट में प्रतिशत

[8] http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/nss_report_568_19feb16.pdf
[9] https://barctrust.org/sources/Report%20of%20Corona%20Relief%202020%20December.pdf
[10] https://d3971b67-4c49-4f6d-aa7c-63f2a5b3cac5.filesusr.com/ugd/8a8dda_a2b8faa98b9a4a00b5692bc6af1e7941.pdf

2017–18	बजट अनुमान	166753.9	166.49	0.10
	संशोधित अनुमान	175615.12	154.37	0.09
	वास्तविक व्यय	164472.47	129.02	0.08
2018–19	बजट अनुमान	197274.66	180.60	0.09
	संशोधित अनुमान	197258.89	164.98	0.08
	वास्तविक व्यय	189439.25	144.85	0.08
2019–20	बजट अनुमान	218222.05	165.58	0.08
	संशोधित अनुमान	210106.95	152.03	0.07
	वास्तविक व्यय	198769.06	124.96	0.06
2020–21	बजट अनुमान	225731.50	164.83	0.07
	संशोधित अनुमान	248062.62	152.03	0.06
	वास्तविक व्यय	235093.90	144.39	0.06
2021–22	बजट अनुमान	250747.33	172.93	0.07
	संशोधित अनुमान	319094.26	193.57	0.06
2022–23	बजट अनुमान	346182.83	261.31	0.07

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार,

वर्तमान वर्ष 2022–23 में अल्पसंख्यक विभाग का बजट 261.31 करोड़ रूपये रखा गया है, जो कि कुल राज्य बजट का 0.07 प्रतिशत है। वर्तमान वर्ष 2022–23 का बजट अनुमान पिछले वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान (172.93 करोड़ रुपये) से 34.17 प्रतिशत अधिक हुआ है। लेकिन पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का कुल बजट, राज्य के कुल बजट के 0.1 प्रतिशत से कम हो रहा है।

बजट का पूरा उपयोग नहीं होनाः राज्य में अल्पसंख्यक विभाग का बजट बहुत कम है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी समस्या विभाग को उपलब्ध बजट का पूरा उपयोग नहीं होना भी है। श्री बदरुद्दीन अजमल द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जबाब के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान राज्य को अल्पसंख्यक कल्याण के लिये दिये गये कुल बजट97.21 करोड़ रूपयेका केवल 47 प्रतिशत ही उपयोग हो सकाथा। तालिका 7 में भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 के बाद हर वर्ष विभाग के बजट का वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम रहा है।

विभाग द्वारा उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं हो पाने का एक बडा कारण इस विभाग में स्वीकृत पदों का रिक्त होना भी है। तालिका–8 में देखा जा सकता है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग में आधे से अधिक (51.17 प्रतिशत) पद रिक्त हैं।

तालिका–8ः अल्पसंख्यक मामलात विभाग में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों की स्थिति

विभाग	सृजित पद	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
निदेशालय स्तर	66	13	19.70
जिला स्तर (समस्त 33 जिले)	412	219	53.02
मदरसा बोर्ड	36	17	47.22
मदरसों में शिक्षा सहयोगी	8619	3273	37.97
कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी	3000	2686	89.53
कुल पद	**12133**	**6208**	**51.17**

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2021–22

केंद्र तथा राज्य सरकार कंप्यूटर शिक्षा बढ़ावा देने पर बल दे रही है और इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर घोषणाएँ भी की जा रही है, लेकिन ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य के मदरसों में दीनी तालीम के साथ कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा के लिए 3000 कंप्यूटर शिक्षा सहयोगियों के पद स्वीकृत किये हैं लेकिन केवल 314 पदों पर ही कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं, जबकि 89.53 प्रतिशत (2686) पद रिक्त हैं।

अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जेंडर बजट

जेंडर बजट विवरण राज्य बजट के साथ जारी किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के सभी विभाग यह बताते हैं कि उनके वभिन्न योजनाओं के बजट का कितना हिस्सा महिलाओं और बच्चियों की तरफ जाता है। वर्ष 2019–20 से जेंडर बजट दो श्रेणियों में आने लगा है, श्रेणी 'अ' (70 प्रतिशत एवं अधिक प्रावधान वाली विशिष्ट योजनाओं का विवरण) तथा श्रेणी 'ब' (70 प्रतिशत से कम प्रावधान वाली विशिष्ट योजनाओं का विवरण)। नीचे तालिका से अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जेंडर बजट के दोनों मदों में आवंटन की स्थिति को देखा जा सकता है।

तालिका–8: अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जेंडर बजट का मद (करोड़ रू. में) 2022–23

विवरण	योजना	रिपोर्टेड	जेंडर मद	जेंडर मद रिपोर्टेड बजट का प्रतिशत
भाग – अ	अल्पसंख्यकबालिकाओं के लिए छात्रावास	4.43	4.43	100
	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (अल्पसंख्यक छात्रों को स्कूटी वितरण)	9	9	100
	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु	0.70	0.70	100
	कुल भाग–अ	14.13	14.13	100
भाग – ब	मदरसा स्कूल	70	28	40
कुल (अ+ब)		84.13	42.13	–
विभाग का कुल बजट		261.31	–	–
विभाग के कुल बजट से रिपोर्टेड बजट का प्रतिशत		32.20	–	–

स्रोत:जेंडर बजट स्टेटमेंट, 2022–23, राजस्थान सरकार

तालिका से देखा जा सकता है कि अल्पसंख्यक विभाग में जेंडर बजट स्टेटमेंट के भाग अ तथा भाग ब को मिलाकर रिपोर्टेड बजट 84.13 करोड़ रुपये है, जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कुल बजट (261.31 करोड़ रुपये) का सिर्फ32.20 प्रतिशत ही है।जेंडर बजट स्टेटमेंट में अल्पसंख्यक विभाग की कुल चार योजनाओं को हीशामिल किया गया है, जिनमें से **भाग अ** में तीन योजनाओं को शामिल करते हुए 14.13 करोड़ रुपये तथा **भाग ब** में एक योजना में (मदरसा स्कूल) 70 करोड़ रूपये का बजट है, जिसका 40 प्रतिशत बच्चियों की तरफ जाता है ऐसा बताया गया है। हालाँकि इसका आधार क्या है यह स्पष्ट नहीं है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक विभाग की सबसे बड़ी योजना है, जिसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए चहुंमुखी कार्य किये जाते हैं। **लेकिन इस योजना को जेंडर बजट स्टेटमेंट में शामिल (रिपोर्ट) नहीं किया गया है। इसलिए यह पता नहीं लगता कि इस योजना का कितना हिस्सा महिलाओं एवं बच्चियों पर खर्च होता है।** इस योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए अलग से बहुत कार्य किये जा सकते हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य योजनाएं एवं उनका बजट:

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर को ऊँचा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बंधित योजनाओं के बजट का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।और साथ ही कुछ महत्तवपूर्ण योजनाओं के बजट एवं उनके क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गयी है।

तालिका–9: राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजना तथा उनका बजट (करोड़ रु. में)

योजनाएं	बजट अनुमान 2020–21	वास्तविक व्यय 2020–21	बजट अनुमान 2021–22	संशोधित अनुमान 2021–22	बजट अनुमान 2022–23
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	64.03	54.16	58.71	42.6	57.67
मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना	0.09	0.10	0.31	0.30	0.19
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	0.15	0.20	0.30	0.29	0.19
मदरसा स्कूल	62.74	64.80	68.30	68.30	70
मदरसा बोर्ड	2.03	1.81	2.05	2.24	2.24
अनुप्रति योजना	0.25	0.02	0.25	0.50	16.50
छात्रावास भवन निर्माण	2.50	0.06	2	3.50	5
अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	2.76	0.84	3.01	1.94	7.67
अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास	2.24	1.07	3.36	1.90	4.43
कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	2	0	2	0.05	2
अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय संचालन	0	0	0.0007	1.47	10.32
अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु आवासीयविद्यालयभवन निर्माण	0	0	0.0001	0.50	10
अल्पसंख्यक छात्रों को स्कूटी वितरण	1.16	0	4.50	5.50	9

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

नोटः अल्पसंख्यक श्रेणी के बालक–बालिकाओं के लिए चल रही पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आवंटित बजट के आंकडें उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वर्ष 2015–16 से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम/बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP): बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसे सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करने तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को वर्ष 2008–09 में देश के 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों (एम सी डी) में आरम्भ किया गया था।

दिनांक 1, अप्रैल 2018 से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" कर दिया गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में क्षेत्रीय विस्तार कर 16 जिलों के 02 जिला मुख्यालयों, 15 ब्लॉकों तथा 17 कस्बों को शामिल किया गया है।

इस वर्ष 2022–23 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हेतु बजट अनुमान 57.67 करोड़ रुपये रखा गया है। जो वर्ष 2020–21 तथा 2021–22 के बजट अनुमान से क्रमशः 9.93 प्रतिशत तथा 1.77 प्रतिशत कम रहा है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22 के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2021–22 तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल स्वीकृत 2612 कार्यों में से 2169 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 161 कार्य निर्माणाधीन है। शेष 282 अप्रारम्भ कार्यों में से 225 कार्य विभिन्न कारणों से मंत्रालय को निरस्तगी हेतु भेजे गये हैं। 57 कार्य अभी प्रारम्भ होना बाकी हैं।

अल्पसंख्यकों के लिएप्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री पंद्रह सूत्री कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों/विभागों की कईं योजनाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में निम्न विषय शामिल हैं।

- **शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना–**(1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। (2) विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण (5) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना।
- **आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी–** (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना। (8) तकनिकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन (9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण योजना (10) राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती।
- **अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना–** (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी (12) अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार।
- **सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण–** (13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम (14) साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन (15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 24 कार्यक्रम शामिल हैं। इन 24 कार्यक्रमों का 15 प्रतिशत बजट अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए और 15 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिये। अल्पसंख्यक मामलात विभाग इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। निगरानी के लिए केन्द्रीय मंत्रालय स्तर, राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा जिलों में भी समितियां बनी हुई हैं तथाइस कार्यक्रम की निगरानी बैठकें होती रहती हैं। लेकिन विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में दिये गए आंकड़ों को देखें तो 15 प्रतिशत लक्ष्य कम ही योजनाओं में पूरा हो पाता है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22 के अनुसारराज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021–22 में कुल नामांकन 97,12,434 है जिसमें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का नामांकन 6,52,943 है, जो कि कुल नामांकन का 6.72 प्रतिशत हैं।

वर्ष 2020–21 में 229 राजकीय ITI कॉलेज में 24812 छात्र /छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें से केवल 1804 (7. 27 प्रतिशत) अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं हैं एवं वर्ष 2021–22 में राजकीय आई.टी.आई. संस्थाओं में उपलब्ध 36508 सीटों में से 14939 सीटों पर प्रवेश हुआ जिसमें से अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों की संख्या 1017 अर्थात् 6.81 प्रतिशत है। इसी प्रकार राजकीय पोलीटेक्निक संस्थानों में भी अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं का नामांकन 6–7 प्रतिशत ही है।

तालिका– 11 : राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अल्पसंख्यक विद्याथियों के नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल पॉलिटेक्निक कॉलेज	पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल विद्यार्थी	पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल अल्पसंख्यक विद्यार्थी	कुल विद्यार्थियों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों प्रतिशत
2019–20	44	12349	743	6.02
2020–21	44	3727	266	7.14

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2021–22

इसी प्रकार वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अन्य योजनाओं में निम्न प्रगति हुई :

- राज्य में कौशल विकास के लिए चलायी जा रही सभी योजनाओं में अल्संख्यक समुदाय के बालक बालिकाओं की हिस्सेदारी 5.33 प्रतिशत से 10.66 प्रतिशत के बीच रहीहै।
- वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 433306 में से 25988आवासअल्पसंख्यक समुदाय हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गए जिसके विरुद्ध अल्पसंख्यक समुदाय के 16399 परिवारों (6 प्रतिशत) ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया।
- राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित व्यावसायिक ऋण योजना में भी इस वर्ष 665 लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया जबकि योजना का लाभ केवल 34 लोगों को ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शिक्षा ऋण योजना में 166 छात्र छात्राओं का लक्ष्य रखा गया लेकिन 17 छात्र–छात्राएं ही योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

मदरसा बोर्ड एवं मदरसा स्कूलः– वर्तमान वर्ष में मदरसा बोर्ड एवं मदरसा स्कूल का बजट 72.24 करोड़ रु है। जिसमे मदरसा स्कूल का बजट 70 करोड़ रूपए है तथा मदरसा बोर्ड का बजट 2.24 करोड़ रु है। मदरसा बोर्ड तथा मदरसा स्कूल द्वारा मुख्यतःदो योजना चलायी जा रही हैं जो निम्न हैंः–

मदरसों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु संविदा पर शिक्षा सहयोगियों का चयन कर उपलब्ध करवाना :–बोर्ड द्वारा मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हेतु शिक्षा सहयोगियों का चयन कर मदरसों को उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिनका मानदेय भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड के अधीन पंजीकृत मदरसों में शिक्षा सहयोगियों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की सूचना निम्नानुसार है :–

तालिका– 12: मदरसों में अध्यापन कार्य हेतु उर्दू शिक्षा सहयोगियों एवं कंप्यूटर शिक्षा सहयोगियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
1.	उर्दू शिक्षा सहयोगी	8619	5346	3273	37.97
2.	कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी	3000	314	2686	89.53

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22, अल्पसंख्यक मामलात विभाग

1. **मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना–** मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्यराजस्थान राज्य में संचालित मदरसों का आधारभूत संरचना का विकास करना तथा मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा की जागृति लाकर अधिक से अधिक छात्र छात्राओं में अध्ययन के प्रति रूचि जागृत कर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की तरफ प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत मदरसों को आधुनिक शिक्षा देने हेतु कक्षा–कक्ष निर्माण, छात्रावास निर्माण, भवन मरम्मत कार्य एवं आधारभूत भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22 केअनुसार इस योजना के तहत 3290 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें 395 मदरसे उच्च प्राथमिकएवं 2895 प्राथमिकस्तर के मदरसे हैं। कुल 3290 मदरसों में 1,81,829 छात्र–छात्राएं नामांकित हैं। इन सभी छात्र–छात्राओं को मिड–डे–मील योजना का लाभ मिल रहा है एवं सभी छात्र – छात्राओं को सम्बंधित विभाग द्वारा उर्दू विषयों की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22 केअनुसारवर्ष 2019–20 में 47 निर्माण कार्यों, वर्ष 2020–21 में 36 निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है एवं वर्ष 2021–22 के बजट में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

नई रोशनी योजना

नई रोशनी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास जगाना है। योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ काम करने की जानकारी, साधन एवं तकनीक मुहैया कराना है। यह योजना केन्द्रीय अल्संख्यक मामलात मंत्रालय द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से लागू की जाती है।

मंत्रालय द्वारा करवाए गए इम्पैक्ट एंड इवैल्यूएशन स्टडी ऑफ़ "नई रोशनी स्कीम" 2021रिपोर्ट[8] के अनुसार राज्य में इस योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 2012–13 से वर्ष 2021–22तक 4.1करोड़ रुपये खर्च कर 17500महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया है।

[8] https://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Impact%20Evaluation%20Report%20of%20Nai%20Roshni%20-%202021.pdf

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगमः राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की स्थापना राजस्थान सरकार व भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों के गरीब व्यक्तियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 98000 रु. व शहरी क्षेत्रों में 120000 रु. से कम हो, को स्वरोजगार एवं कार्यक्षमता उन्नयन हेतु रियायती ब्याज दर (6 प्रतिशत व्यवसायिक ऋण एवं 3 प्रतिशत शिक्षा ऋण हेतु) पर स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत व्यवसायिक ऋण एवं शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु की गयी है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली ने वर्तमान में अपनी योजनाओं के तहत एक अतिरिक्त वार्षिक आय पात्रता स्लैब क्रीमीलेयर मापदंड के आधार पर पारिवारिक वार्षिक आय दिनांक 17–12–2020 से 8 लाख रु कर दी है, इसमें मौजूदा स्कीम के अंतर्गत दिए जा रहे ऋण की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर पर (व्यावसायिक ऋण के लिए पुरुष लाभार्थियों के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक, महिला लाभर्थियों के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक तथा शिक्षा ऋण हेतु पुरुष लाभार्थियों के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक एवं महिला लाभार्थियों के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक) रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थियों की आयु व्यावसायिक ऋण हेतु 18 से 54 वर्ष एवं शैक्षणिक ऋण हेतु 16 से 32 वर्ष होनी चाहिए।

तालिका–13: राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को स्व–रोजगार और आय सृजित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण (राशि करोड़ रु.में)

वर्ष	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22*	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
राजस्थान	14.52	1475	7.40	672	4.60	365	2.16	96	1.02	51

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2021–22, *दिसम्बर, 2021–22

तालिका–13 में दिए गये आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 2016–17 से 2021–22 तक कुल 2659 लाभार्थियों को लाभ मिला है जिन पर इस समयावधि में मात्र 29.7 करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान की गयी है।लेकिन जैसा की तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2017–18 से लगातार लाभार्थियों की संख्या में कमी आ रही है ।

यहां यह देखा जा सकता है कि अल्पसंख्यक विभाग का बजट ना केवल बहुत कम है, इस विभाग के बजट का पूरा उपयोग भी नहीं हो पाता है। विभाग की योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति भी धीमी है। प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम का बजट पिछले तीन वर्षों में कम हुआ है और बजट उपयोग (वास्तविक व्यय) भी कम रहा है। विभाग के जेण्डर बजट विवरण में यह महत्तवपूर्ण योजना शामिल नहीं है। विभाग में आधे पद रिक्त हैं और मदरसों में उर्द शिक्षा सहयोगी के 39 प्रतिशत और कम्प्युटर शिक्षा सहयोगी के 90 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

राज्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति, सतत विकास लक्ष्यों के संकेतकों पर मुस्लिम समुदाय का निराशाजनक प्रदर्शन और कोविड महामारी से उभरे आर्थिक संकट को देखते हुए निम्न सुझाव दिए जा रहे हैः

- **भारत सरकार** को प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में और योजनाओं को शामिलकरते हुए इनके क्रियान्वयन निगरानी व्यस्था को मज़बूत करना चाहिए।
- **नीति आयोग** को सतत विकास लक्ष्य 10 (असमानता में कमी) के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय सहित सभी हाशियाकृत समुदायों के विकास के आंकड़े संकेतक के रूप में शामिल करने चाहिए।
- **राज्य में** अल्पसंख्यक विभाग का बजट राज्य के कुल बजट का मात्र 0.1 प्रतिशत से भी कम है और पिछले कई वर्षों से इसी स्तर पर बना है, इसमें बढ़ोत्तरी की जाए।
- अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य में संचालित 15 सूत्री कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी की व्यवस्था कमज़ोर है। 20 सूत्री कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम के निगरानी हेतु व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जाये।
- अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुधार कर मजबूत किया जाये। अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी मिल सके, इसके लिये पर्याप्त उपाय किये जाने चाहिये।
- मदरसों की स्थितियों में सुधार कर उन्हें आधुनिक किया जाये। मदरसों में गुणवत्ता–पूर्ण शिक्षा की भारी कमी है सरकार द्वारा मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाए जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। मदरसों में अध्यापकों की कमी है और उनको मिलने वाला वेतन बहुत कम है, योग्य– मदरसा शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जाये।
- इसके अलावा मदरसों में आधारभूत संरचनाओं की भी भारी कमी है, मदरसों में शौचालयों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है इसका सीधा प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- मदरसा–विद्यालयों की अकादमिक सहायता एवं निगरानी की प्रकिया बनाई जाये।
- सरकार द्वारा चलायी जा रही अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृति योजना के अंतर्गत छात्र सीमा को हटा कर सभी अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृति का लाभ दिया जाना चाहिये।
- अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग हेतु छात्रवृत्ति आदि योजनाओं का व्यवस्थित क्रियांवयन नहीं होने के परिणामस्वरुप समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। अल्पसंख्यक छात्रों के फ्री–कोचिंग के लिए सरकार द्वारा राज्य की अच्छे कोचिंग संस्थाओं की एक सूची तैयार की जाये और फिर उसमें अल्पसंख्यक छात्रों को दाखिले दिलवाए जायें। फ्री–कोचिंग के लिए जो सुविधा एस.सी. तथा एस.टी. के छात्रों को दी जाती है वही सुविधा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाये।
- राज्य में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यवस्थित नीति के अभाव में उर्दू शिक्षकों की भारी कमी के कारण इस विषय के अध्ययन से छात्र वंचित हो रहे हैं। अतः राज्य के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को तथा अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विभागों में समस्त रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए ताकि कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।
- केंद्र सरकार की घुमंतू सूची में कलंदर, मीरासी, फकीर जैसी मुस्लिम घुमंतू जातियां भी शामिल हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की घुमंतू जाति की सूची में इनका नाम नहीं है। सरकार द्वारा इन जातियों को भी

घुमंतू जाति की सूची में जोड़ा जाये। जिससे की घुमंतू जाति के वंचित लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें ।

- ❖ राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम जो अल्पसंख्यकों को स्वरोज़गार के लिये सहायता प्रदान करता है, के लाभार्थियों की संख्या पहले से ही बहुत कम है, जो करोना के पहले वर्ष (2020–21) में घटकर मात्र 50 रह गई है। निगम को स्वरोज़गार करने वाले अल्पसंख्यक/मुस्लिम लोगों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास करने चाहिये।
- ❖ साम्प्रदायिकता का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में भी अंतिम 3 कार्यक्रम इससे सम्बंधित हैं। इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि समाज में अमन व शांति बनी रहे।

.....

बजट अध्ययन एवं अनुसन्धान केंद्र ट्रस्ट के महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. Mitigating the Impacts of Covid-19 Lessons from the First Wave - Policy Brief (2021)(English)
2. स्थानीय नगर निकाय एवं उनकी कार्यप्रणाली कार्य आयोजना, बजट, लेखा एवं अंकेक्षण (2021)
3. राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति, योजनाएं एवं बजट आवंटन : एक अध्ययन (2021)
4. Policy Brief on Pre-Matric Scholarship 2021-22 in Rajasthan (2021)
5. Study Report: Resource gap in pre-matric scholarship (2021)
6. राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति (2019)
7. Policy Brief on Resource gap in nutrition- Rajasthan(2019)
8. सहभागिता को बढ़ावा देनाः राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रिया को समझाना (2019)
9. Status of Child Budget in India and way forward for Rajasthan (2019)
10. जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधिः संक्षिप्त परिचय (2019)
11. ग्रामीण कार्य निर्देशिका मैन्युअल (2017)
12. राजस्थान में पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्य (2016)
13. विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जातियां और सतत विकास लक्ष्यः मुद्दे, नीति, बजट, योजनाए (2022)

नोटः आप ये सभी प्रकाशन बार्क ट्रस्ट की वेबसाइट के 'Publications' सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक ये है –https://barctrust.org/Publications1.php

नोट : इस नीति प्रपत्र को अप्रैल 2023 में मामूली संशोधित किया गया है एवं तालिका 4 में 8 वें अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण की जगह अब 7 वें अखिल भारतीय शिक्षा स्कूली सर्वेक्षण के आंकड़े दिए गए है क्योकि 8 वें अखिल भारतीय शिक्षा स्कूली सर्वेक्षण के विस्तृत आंकड़े अब इन्टरनेट पर उपलब्ध नहीं है।